उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-2

संख्या- /2022/245ए/96-आयुष-2-2022/95/2015

शुत्रिपत्र

शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2022/245/96-आयुष-2-2022/95/2015 दिनांक-07 फरवरी, 2022 को निर्गत किया गया है परन्तु उक्त शासनादेश में त्रुटिवश तिथि अंकित नहीं हो सकी है। अत: उक्त शासनादेश को दिनांक-07 फरवरी, 2022 को निर्गत समझा जाए। शेष उक्त शासनादेश यथावत रहेगा।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2022/245ए/96-आयुष-2-2022-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गोमती नगर, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।